

उपरोक्त कार्य को निम्न पर्याप्त  
 दिनांक जारी है। निम्नलिखित  
 कार्य को कम होकर दृष्टि  
 संकेत है।

उपरोक्त अधिकारी खेती

25/09/24

पत्रावली पेश हुई। उपरोक्त फाईल में उपरोक्त  
 पीछाकारी महोदय आज दीप वार्ड में कमरा/  
 जो/अवकाश पर है। पत्रावली गत आदेशानुसार  
 दिनांक 15-10-2024 को पेश है।

15-10-24

पत्रावली पेश हुई। उपरोक्त फाईल में उपरोक्त  
 पीछाकारी महोदय आज दीप वार्ड में कमरा/  
 जो/अवकाश पर है। पत्रावली गत आदेशानुसार  
 दिनांक 08-11-2024 को पेश है।

08/11/24

वकील वादी उपस्थित। लखीपुर  
 रवेदी से उनके पत्रांक राजस्व/24/  
 1158 दिनांक 26.09.2024 से जांच  
 रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली  
 की गई। कापीवकला वादी के विवेक  
 पर बहस कापीवकला वादी शुनी गई  
 पत्रावली पर उपलब्ध इलाके जात  
 का दृष्टान्त पूर्वक अकालीक मान किया  
 गया। लखीपुर रवेदी से अपनी  
 जांच रिपोर्ट से अकालीक बताया है  
 कि रकबा सं: 421 पूर्व में अकालीक  
 भूमि रही है। इस कारण भीतर जिला  
 कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार  
 राजस्व प्रभावित होने के कारण  
 वादग्रस्त भूमि की अपील माननीय  
 RIA Copent सीकर कंप Copent  
 कुंभुई में जेरकार है। लका माननीय  
 अशासक से स्पष्ट नहीं है।  
 कल: उपरोक्त विवेक अकालीक प्रकरण में  
 राजस्व होने से वादी का वाद काफिले  
 निरस्त है। लिहाजा

— : आदेश : —

कल: वादी का वाद में राजस्व निहित  
 होने से अकालीक किया गया है।  
 निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को  
 अशासक से शुभाभा रामा

